

Date: August 30, 2025

**The Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited**
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
BSE Scrip code – 534758

**The General Manager,
Department of Corporate Services
The National Stock Exchange of India Limited**
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra, Mumbai – 400 051
NSE Symbol – CIGNITITEC

Subject: Newspaper publication– Notice of 27th Annual General Meeting, Details of Remote E-Voting and dispatch of Annual Report

Dear Sir/Ma'am,

In continuation to our newspaper publication dated August 21, 2025, We wish to inform you that pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, the Company has published the “Notice of 27th Annual General Meeting, details of Remote e-voting and dispatch of Annual Report” in the following newspapers:

- a) Jansatta (Hindi)
- b) Financial Express (English)

Copy of newspaper clippings are enclosed.


Kindly take this on record.

Thanking you,
Yours truly,

For Cigniti Technologies Limited

**Naga Vasudha
Company Secretary
Membership No.: A23711**

Encl.: As above



11वीं मंजिल, उत्तर दिशा, आर-टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरगंवा (पूर्व), मुंबई-400063

कब्जा सूचना
(अचल संपत्तियों के लिए)

वित्तीय आसतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत अधिसूचना दी जाती है तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित विधि को मांग नोटिस जारी किया है तथा उधारकर्ताओं एवं गारंटरों से उक्त मांग नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

एएसवीसी को-ऑपरेटिव बैंक ने दिनांक 29.03.2017 के असाइनमेंट समझौते के तहत निम्नलिखित उधारकर्ताओं की वित्तीय परिसंपत्तियों को उसके सभी अधिभार, शीर्षक और ब्याज के साथ-साथ सभी अतिनिहित सुखा हितों के साथ रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एएसवीसी बैंक आर(एसवीसी) 033 ट्रस्ट के ट्रस्टी के ष्ठ में सौंप दिया है।

उधारकर्ताओं और गारंटरों द्वारा राशि का मुगतान करने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ताओं और गारंटर और आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के अधोस्थापना प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

उधारकर्ता और गारंटर विशेष रूप से तथा आम जनता को इस प्रकार आगाह किया जाता है कि वे इन संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें तथा संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा उस पर दी जाने वाली राशि तथा ब्याज के लिए प्राप्ति किया जाएगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सूचित परिसंपत्तियों को भुगाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

क्र. सं.	उधारकर्ताओं / गारंटरों	बैंक रुकी गई संपत्तियों का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	ट्रस्टी के रूप में कार्य करना समाप्त की तिथि	राशि ओ/एस रु
1	1. मेसर्स ट्राइडेंट प्लेक्सिबल प्राइवेट लिमिटेड 2. श्री डी गोपालकृष्णन (मृतक) (उत्तक कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से) 3. श्रीमती अनिला गोपालकृष्णन (निदेशक) 4. मेसर्स एक्सेल वैकेजिम, इसके स्वामी (श्री डी गोपालकृष्णन (मृतक) (उत्तक कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से) (गारंटर और बैंककतकी के माध्यम से, 61 और 72, मटियाला गॉव, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 पर।	प्लॉट संख्या-61 वाली संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1100 वर्ग गज में से 253 वर्ग गज है, खसरा संख्या-61 के अनुसार, ग्राम मटियाला, आकषर उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित है और मेसर्स एक्सेल वैकेजिम के स्वामित्व में है। पूर्व में जिले सिंह की जमीन। पहिलम में विस्तारित आवादी। उत्तर में: अन्य जमीन। दक्षिण में: 16 फुट सड़क।	26.05.2025	29.03.2017	₹ 17,90,44,507.35 (सत्रह करोड़ नब्बे लाख बीसवीं हज़ार पचास सात पचास पैसे मात्र)

हस्ता/—(प्राधिकृत अधिकारी)

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
स्थान: नई दिल्ली तिथि: 29 अगस्त, 2025

क्र. सं.	क्रेम नं/ मूल ऋणदाता का नाम/डिमांड नोटिस की तिथि/ट्रेड का नाम	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/गारंटर	डिमांड नोटिस की तिथि के अनुसार भारतीय रुपये में कुल बकाया
1	लेन: HLP100005439 मूल ऋणदाता सेवा गृह ऋण लिमिटेड ("सेवा") मांग सूचना की तिथि: 05-08-2025 ट्रेड का नाम: आर्सिंल-ट्रस्ट-2025सी-006	श्री/ / राम चंद्र गुप्ता / सनी गुप्ता	₹. 206975 75 21 जुलाई 2025 तक

संपर्क का विवरण: 800.000 वर्ष फूट क्षेत्रफल वाली संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा, जो खसरा संख्या 348, निम के 348, प्लॉट भाग में स्थित है, ग्राम पी-गौरपती, बाई - फेज्युलगाँव, पुण्या, तहसील लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226020 में स्थित है।

अतः, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उन्हें इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के विरुद्ध वास्तु करारवाई गई कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता द्वारा अग्रे के ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, आर्सीलको कर्षण बंजित संपत्तियों पर सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए धारा 13(4) के तहत कार्यवाही करने के लिए कायम होना प्रस्तावित, अधिनियम और इसके तहत बंधन एवं नियमों के तहत निर्धारित अन्य तरीकों से नोटिस की सेवा के लिए भी कथन उभार जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि उक्त कर्षण को सफल अधिनियम की धारा 13(6) में विरुद्ध रूप से चलाया अनुसार, सार्वजनिक नीतियों या किसी के माध्यम से हस्तान्तरण के लिए किसी संघि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी सम्य आर्सील द्वारा किए गए लागू, शुल्क और ब्याज सहित संपूर्ण देय राशि का भुगतान करने पर मोकन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि सफल अधिनियम की धारा 13 (14) के अनुसार, आपको सुरक्षित संपत्तियों को किसी भी तरह से हस्तांतरित करने और/या उनके नियंत्रण से अलग कर देना प्रतिषेद्ध है।

हस्ता:- अधिकृत अधिकारी
दिनांक: 30.08.2025

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएन: U65999MH2002PLC134884, **वेबसाइट:** www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय: द रुबी, 10वीं मंजिल, 29 संपातित भाग नंम्बर, दार (परिधम), मुंबई - 400 028
दूरभाष: +91 02266581300
टाया कार्यालय: कार्यालय संख्या 1008, 11वीं मंजिल, मेरएण्ड मॉल, जलकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेण्टर, जलकपुरी, नई दिल्ली पी.ओ. 110058 फोन: +91 011 4177 5206

निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 1001-1006, 10वां तल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
(CIN : L74899DL1993PLC0055470)
वेबसाइट : www.nimbusprojectsLtd.com ईमेल : nimbusindiaLtd@gmail.com
फोन : 011-42878900, फ़ैक्स : 011-41500023

32वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना, ई-वोटिंग की सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्बस प्रोजेक्ट्स लि (कंपनी) के सदस्यों की 32वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों एवं उनके तहत बने नियमों के अनुपालन एवं सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 ("सेबी") सहपठित कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीई") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, 19/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, परिपत्र सं. 20/2022 दिनांक 5 मई, 2022, परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 17/02/22 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022, परिपत्र सं. 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 एवं परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के अनुपालन में 32वीं एजीएम के 12 अगस्त 2025 के नोटिस में उल्लिखित कार्यवाही के निष्पन्न हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य आडियो वीडियो प्रसारण माध्यमों (ऑप्लीएम) द्वारा मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 को 12:30 बजे दोपहर समयन होगी। जो कंपनी अधिनियम 2013 और तदनुसार बनाए गए नियमों व सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से एएसवीसी परिसरों) के रूप में संदर्भित और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 व सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से सम्बन्धित अतिरिक्त घूट के सम्बन्ध में व परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 एवं परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 (सामूहिक रूप से सभी परिपत्रों) के रूप में संदर्भित) के सम्बन्ध में कर्तवियों द्वारा पारित साधारण एवं विशेष प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में एक आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य आडियो वीडियो प्रसारण माध्यमों (ऑप्लीएम) द्वारा वार्षिक साधारण सभा आयोजित करने की स्वीकृति है।

एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के संदर्भ में, बैठक में संपादित किए जाने वाले सामान्य व विशेष कारोबार के निर्धारण हेतु 32वीं एजीएम का नोटिस तथा उसके साथ संलग्न कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण, साथ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट, 2025 दिनांक 10/12/25 दिनांक 28 दिसम्बर, 2025, परिपत्र सं. 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 एवं परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के अनुपालन में 32वीं एजीएम के 12 अगस्त 2025 के नोटिस में उल्लिखित कार्यवाही के निष्पन्न हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य आडियो वीडियो प्रसारण माध्यमों (ऑप्लीएम) द्वारा मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 को 12:30 बजे दोपहर समयन होगी। जो कंपनी अधिनियम 2013 और तदनुसार बनाए गए नियमों व सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से एएसवीसी परिसरों) के रूप में संदर्भित और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 व सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से सम्बन्धित अतिरिक्त घूट के सम्बन्ध में व परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 एवं परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 (सामूहिक रूप से सभी परिपत्रों) के रूप में संदर्भित) के सम्बन्ध में कर्तवियों द्वारा पारित साधारण एवं विशेष प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में एक आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य आडियो वीडियो प्रसारण माध्यमों (ऑप्लीएम) द्वारा वार्षिक साधारण सभा आयोजित करने की स्वीकृति है।

एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के संदर्भ में, बैठक में संपादित किए जाने वाले सामान्य व विशेष कारोबार के निर्धारण हेतु 32वीं एजीएम का नोटिस तथा उसके साथ संलग्न कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण, साथ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट, 2025 दिनांक 10/12/25 दिनांक 28 दिसम्बर, 2025, परिपत्र सं. 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 एवं परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के अनुपालन में 32वीं एजीएम के 12 अगस्त 2025 के नोटिस में उल्लिखित कार्यवाही के निष्पन्न हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य आडियो वीडियो प्रसारण माध्यमों (ऑप्लीएम) द्वारा मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 को 12:30 बजे दोपहर समयन होगी। जो कंपनी अधिनियम 2013 और तदनुसार बनाए गए नियमों व सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से एएसवीसी परिसरों) के रूप में संदर्भित और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 व सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से सम्बन्धित अतिरिक्त घूट के सम्बन्ध में व परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 एवं परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 (सामूहिक रूप से सभी परिपत्रों) के रूप में संदर्भित) के सम्बन्ध में कर्तवियों द्वारा पारित साधारण एवं विशेष प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में एक आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य आडियो वीडियो प्रसारण माध्यमों (ऑप्लीएम) द्वारा वार्षिक साधारण सभा आयोजित करने की स्वीकृति है।

एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के संदर्भ में, बैठक में संपादित किए जाने वाले सामान्य व विशेष कारोबार के निर्धारण हेतु 32वीं एजीएम का नोटिस तथा उसके साथ संलग्न कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण, साथ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट, 2025 दिनांक 10/12/25 दिनांक 28 दिसम्बर, 2025, परिपत्र सं. 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 एवं परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के अनुपालन में 32वीं एजीएम के 12 अगस्त 2025 के नोटिस में उल्लिखित कार्यवाही के निष्पन्न हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य आडियो वीडियो प्रसारण माध्यमों (ऑप्लीएम) द्वारा मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 को 12:30 बजे दोपहर समयन होगी। जो कंपनी अधिनियम 2013 और तदनुसार बनाए गए नियमों व सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से एएसवीसी परिसरों) के रूप में संदर्भित और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 व सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से सम्बन्धित अतिरिक्त घूट के सम्बन्ध में व परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 एवं परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 (सामूहिक रूप से सभी परिपत्रों) के रूप में संदर्भित) के सम्बन्ध में कर्तवियों द्वारा पारित साधारण एवं विशेष प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में एक आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य आडियो वीडियो प्रसारण माध्यमों (ऑप्लीएम) द्वारा वार्षिक साधारण सभा आयोजित करने की स्वीकृति है।

एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के संदर्भ में, बैठक में संपादित किए जाने वाले सामान्य व विशेष कारोबार के निर्धारण हेतु 32वीं एजीएम का नोटिस तथा उसके साथ संलग्न कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण, साथ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट, 2025 दिनांक 10/12/25 दिनांक 28 दिसम्बर, 2025, परिपत्र सं. 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 एवं परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के अनुपालन में 32वीं एजीएम के 12 अगस्त 2025 के नोटिस में उल्लिखित कार्यवाही के निष्पन्न हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य आडियो वीडियो प्रसारण माध्यमों (ऑप्लीएम) द्वारा मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 को 12:30 बजे दोपहर समयन होगी। जो कंपनी अधिनियम 2013 और तदनुसार बनाए गए नियमों व सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से एएसवीसी परिसरों) के रूप में संदर्भित और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 व सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से सम्बन्धित अतिरिक्त घूट के सम्बन्ध में व परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 एवं परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 (सामूहिक रूप से सभी परिपत्रों) के रूप में संदर्भित) के सम्बन्ध में कर्तवियों द्वारा पारित साधारण एवं विशेष प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में एक आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य आडियो वीडियो प्रसारण माध्यमों (ऑप्लीएम) द्वारा वार्षिक साधारण सभा आयोजित करने की स्वीकृति है।

जिन सदस्यों के पास शेयर भौतिक रूप में हैं और जिन्होंने अपने ईमेल पते कंपनी/आरटीए में अद्यतन नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नोटिस में बताए गए दस्तावेजों सहित **evoting@nsdl.co.in** पर ईमेल द्वारा अनुरोध कर कंपनी में अपने ईमेल पते अद्यतन करा लें।

ओएम माध्यम में अपने शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोटिस में बताए गए दस्तावेजों सहित डिपोजिटरी प्राधिकरण के पास दर्ज अपने ईमेल पते का **rta@alankit.com** अथवा **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध कर पंजीकृत/अद्यतन करा लें। एजीएम के नोटिस में उन तरीकों से संबंधित निर्देश भी शामिल हैं। जिनके द्वारा शेयर धारक रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के समय ईवोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं। ईमेल आईडी अद्यतन करने के बाद सदस्य **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

32वीं एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट दस्तावेज: इस नोटिस के प्रसार की तिथि से 32वीं एजीएम की तिथि तक सदस्यों द्वारा बगैर किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण हेतु उपलब्ध है। वैधानिक रजिस्ट्रार और अन्य संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्यों को कंपनी को **secretarial@nimbusgroup.net** पर ईमेल भेजनी चाहिए।

एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देश

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 व कम्पनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 (अन्य वैधानिक संशोधनों अथवा अधिनियमों, जो कुछ समय के लिए लागू हो सकते हैं) और सेबी (सूचीयन, दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 44 व कम्पनी सकेट्रोज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सेकेडिजियल स्टैंडर्ड ऑफ जरनल नीटिंग ("एएसए-2") के अनुपालन में कम्पनी ने 32वीं एजीएम की सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर अपने सभी सदस्यों को एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के लिए नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के उपयोग से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई-वोटिंग) द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान की है।
- रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार 20 सितम्बर, 2025 को प्रातः 9 बजे से शुरू होगी तथा सोमवार 22 सितम्बर, 2025 को सायं 5 बजे के बाद बंद कर दी जाएगी। एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को 22 सितंबर, 2025 को सायं 5 बजे बंद कर दिया जाएगा और सदस्यों को उसके उपरांत रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं होगी। प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा एक बार मतदान कर देने के बाद उसमें परिवर्तन की सदस्य को अनुमति नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देश हेतु शेयर धारक 32वीं एजीएम के नोटिस में वर्णित निर्देशों को देख सकते हैं।
 - एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया व तरीका एजीएम के नोटिस में बताया गया है और वह कंपनी की वेबसाइट **www.nimbusprojectsLtd.com** पर भी उपलब्ध है।
 - बी) सदस्य जो कम्पनी के शेयर कट-ऑफ मंगलवार तिथि 16 सितम्बर, 2025 पर मौखिक या डीमैट रूप में रखते हैं वे ही एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग अथवा ई-वोटिंग की सुविधा के हकदार होंगे।
 - सी) यदि कोई सदस्य नोटिस डिस्पैच होने के बाद कंपनी के शेयर लेकर कंपनी का सदस्य बनता है और कट-आफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 16 सितंबर, 2025 को शेयर धारक है तो **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
 - डी) वीसी/ओप्लीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने नोटिस का भाग बने प्रस्तावों पर अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं किया है और अल्पमत व ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम के दौरान उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सुविधा के द्वारा मतदान के लिए अहं होंगे।
 - ई) अपने मताधिकार का रिमोट ई-वोटिंग से इस्तेमाल कर चुका सदस्य भी 32वीं एजीएम में भाग ले सकता है पर उसे सभा में पुनः मतदान की अनुमति नहीं होगी।
 - एफ) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले से ही मतदान नहीं किया हो, 32वीं एजीएम में भाग लेने वाले उन सदस्यों को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
 - जी) निदेशक मंडल ने रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तौर पर निगरानी करने के लिए की कफिल देव विश्व (सदस्यता नं. एफसीएस 5898) प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव को संपीक्षक नियुक्त किया है।
- किसी भी जानकारी के लिए एजीएम से पहले या एजीएम के दौरान किसी भी सहायता के लिए सदस्य **www.evoting.nsdl.com** पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर डाउनलोड सेखान पर उपलब्ध है। एनएसडीएल से टोल फ्री नं. 022-48867000 पर भी संपर्क कर सकते हैं अथवा ईमेल आईडी **evoting@nsdl.co.in** पर सुसुत्री परल्वी महादेव बरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान से जुड़ी शिकायतों का निराकरण करेंगे।
- किसी भी जानकारी के लिए सदस्य कंपनी सचिव सुश्री रिटिका अग्रवाल से ईमेल: **secretarial@nimbusgroup.net** अथवा टेलीफोन संख्या 011-42878900/919 पर संपर्क कर सकते हैं।
- सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम के नोटिस में वर्णित सभी बिंदुओं को ध्यान पूर्वक पढ़ें और एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग से मतदान या एजीएम के समय मतदान के तरीकों के लिए निर्देशों/तरकों को विशेष रूप से पढ़ें।
- निदेशक मंडल की ओर से**
कृपे निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
हस्ता/—
सचिवका अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. ९69712
- स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 29 अगस्त, 2025

Gigniti
सिग्निटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
CIN: L72200HR1998PLC129027
पंजी कार्यालय: प्लॉट नंबर 13, उद्योग विहार, फेज-2, सेक्टर-18, पालम रोड, गुरुग्राम - 122015, हरियाणा, भारत
फोन : 0124-4627837. ईमेल : CT_Company.Secretary@cforgo.com वेबसाइट : www.gigniti.com

क्र. सं.	क्रेम नं/ मूल ऋणदाता का नाम/डिमांड नोटिस की तिथि/ट्रेड का नाम	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/गारंटर	डिमांड नोटिस की तिथि के अनुसार भारतीय रुपये में कुल बकाया
1	लेन: HLP100005439 मूल ऋणदाता सेवा गृह ऋण लिमिटेड ("सेवा") मांग सूचना की तिथि: 05-08-2025 ट्रेड का नाम: आर्सिंल-ट्रस्ट-2025सी-006	श्री/ / राम चंद्र गुप्ता / सनी गुप्ता	₹. 206975 75 21 जुलाई 2025 तक

संपर्क का विवरण: 800.000 वर्ष फूट क्षेत्रफल वाली संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा, जो खसरा संख्या 348, निम के 348, प्लॉट भाग में स्थित है, ग्राम पी-गौरपती, बाई - फेज्युलगाँव, पुण्या, तहसील लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226020 में स्थित है।

अतः, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उन्हें इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के विरुद्ध वास्तु करारवाई गई कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता द्वारा अग्रे के ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, आर्सीलको कर्षण बंजित संपत्तियों पर सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए धारा 13(4) के तहत कार्यवाही करने के लिए कायम होना प्रस्तावित, अधिनियम और इसके तहत बंधन एवं नियमों के तहत निर्धारित अन्य तरीकों से नोटिस की सेवा के लिए भी कथन उभार जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि उक्त कर्षण को सफल अधिनियम की धारा 13(6) में विरुद्ध रूप से चलाया अनुसार, सार्वजनिक नीतियों या किसी के माध्यम से हस्तान्तरण के लिए किसी संघि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी सम्य आर्सील द्वारा किए गए लागू, शुल्क और ब्याज सहित संपूर्ण देय राशि का भुगतान करने पर मोकन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि सफल अधिनियम की धारा 13 (14) के अनुसार, आपको सुरक्षित संपत्तियों को किसी भी तरह से हस्तांतरित करने और/या उनके नियंत्रण से अलग कर देना प्रतिषेद्ध है।

हस्ता:- अधिकृत अधिकारी
दिनांक: 30.08.2025

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएन: U65999MH2002PLC134884, **वेबसाइट:** www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय: द रुबी, 10वीं मंजिल, 29 संपातित भाग नंम्बर, दार (परिधम), मुंबई - 400 028
दूरभाष: +91 02266581300
टाया कार्यालय: कार्यालय संख्या 1008, 11वीं मंजिल, मेरएण्ड मॉल, जलकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेण्टर, जलकपुरी, नई दिल्ली पी.ओ. 110058 फोन: +91 011 4177 5206

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्बस प्रोजेक्ट्स लि (कंपनी) के सदस्यों की 32वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों एवं उनके तहत बने नियमों के अनुपालन एवं सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 ("सेबी") सहपठित कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीई") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021,

